संख्या-562/2023/1516/22-2-2023-17(415)/2023

प्रेषक,

कृष्ण कुमार सिंह,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 *लखनऊ: दिनांक 06 सितम्बर, 2023*

विषय:- केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी चन्द्र चूण चौबे उर्फ शेरा चौबे पुत्र श्री शैलेन्द्र चौबे, निवासी जनपद-बलिया की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अधीक्षक (मु0) कारागार के पत्र संख्या-14368/प्रोबे-5-दया0 बैठक-31-03-2023 दिनांक 02-05-2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी चन्द्र चूण चौबे उर्फ शेरा चौबे पुत्र श्री शैलेन्द्र चौबे, जो ग्राम-चैन छपरा, थाना-हल्दी, जनपद-बलिया का निवासी है, द्वारा ठेकेदारी को लेकर चली आ रही रंजिश के कारण दिनांक 03.07.2004 को 12 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर रायफल एवं पिस्तौल से गोली मारकर 04 व्यक्तियों की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-459/2004 में भा0द0वि0 की धारा-148, 302/149 व 7 सी0एल0ए0 एक्ट के अन्तर्गत मा0 न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या-02, बलिया के आदेश दिनांक 27.11.2010 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बंदी द्वारा दिनांक 17.01.2023 तक 18 वर्ष 05 माह 10 दिन की अपरिहार सजा तथा 20 वर्ष 11 माह 07 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, बलिया द्वारा बन्दी के छूटने पर भविष्य में अपराध कारित करने से इंकार नहीं किये जाने के दृष्टिगत समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। दयायाचिका समिति ने जेल रिपोर्ट के अनुसार बन्दी की 36 वर्ष की आयु, बन्दी द्वारा कारित अपराध की प्रकृति (04 हत्या) तथा पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, बलिया द्वारा समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं किये जाने के दृष्टिगत सभी बिन्दुओं पर सम्यक् विचारोपरान्त बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- अत: उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी चन्द्र चूण चौबे उर्फ शेरा चौबे (बन्दी संख्या-213/2015) पुत्र श्री शैलेन्द्र चौबे, निवासी जनपद-बलिया की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
कृष्ण कुमार सिंह
उप सचिव।

संख्या-562/2023/1516(1)/22-2-2023 तद्दिनांक....

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1-जिला मजिस्ट्रेट, बलिया।
2-वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, वाराणसी।
3-निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4-निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
5-नोडल अधिकारी/वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, नैनी, प्रयागराज को मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित क्रिमिनल अपील सं0 8034/2010 चन्द्रचूण चौबे बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित आदेश दिनांक 23.03.2023 के सन्दर्भ में।
6-गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
अजय कुमार तिवारी
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in